राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 535/2017..... जिला.....जयपुर.....

मै0 रानीवाला ज्वैलर्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–एन, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

29/06/2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में कम्पोजीशन स्कीम फॉर सर्राफा डीलर्स का लाभ लेने हेतु विकल्प का चयन किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रशमन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रशमन राशि समय पर जमा नहीं करवायी गयी। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रशमन स्कीम का पत्र नहीं मानकर वेट अधिनियम के तहत 1 प्रतिशत की दर से कर एवं इस पर ब्याज का आरोपण किया गया एवं इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेटफीस रू0 6,01,900/– आरोपित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2017 द्वारा निम्न तालिकानुसार कर, ब्याज एवं लेटफीस को यथावत रखा गया है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

अ. सं.	अ.अधि. की अ.सं	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	6	7
535/17	231	13–14	28,58,395	**6,79,593**	**35,37,988**

दोनों पक्षों की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक सुश्री नेहा सेठी (ACA) ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने प्रशमन योजना का चयन करते हुए देय प्रशमन राशि राजकोष में जमा करवा दी थी। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 13.04.2014 को रविवार तथा दिनांक 14.04.2014 को अम्बेडकर जयन्ती का अवकाश होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.04.2014 को ऑन लाईन रू0 2,66,090/– की राशि जमा करवायी गयी थी। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टतया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना बताते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को कर एवं ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार करते हुए कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक शेष बकाया मांग राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 535/2017..... जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/06/2017	उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने प्रशमन योजना का चयन करते हुए देय प्रशमन राशि राजकोष में जमा करवा दी थी। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 13.04.2014 को रविवार तथा दिनांक 14.04.2014 को अम्बेडकर जयन्ती का अवकाश होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.04.2014 को ऑन लाईन रू0 2,66,090/– की राशि जमा करवायी गयी थी। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। अतः विवादास्पद कर एवं ब्याज की राशि को आगामी तिथि तक स्थगित किया जाता है। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर अपील के निस्तारण तक बकाया मांग राशि को स्थगित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक **06.07.2017 को खण्डपीठ** के समक्ष पेश हो । आदेश प्रसारित किया गया।। 29.6.2017 **(मदन लाल)** **सदस्य** **(खेमराज)** **अध्यक्ष**	